न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
18/24	एफएसएस एक्ट, 2006	03/05/2024

1. वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर ।
—आवेदक

वनाम

1. मुरारी लाल माली पुत्र श्री बद्रीलाल माली निवासी माली मोहल्ला बाटोदा गंगापुर सिटी (फर्म मालिक) मैसर्स पंकज चाट भण्डार, मैन बस बस्टेण्ड बाटोदा गंगापुर सिटी। —अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः— 29.07.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 04/11/2023 को 03:00 पी.एम. पर मैसर्स पंकज चाट भण्डार मैन बस स्टेण्ड बाटोदा गंगापुर सिटी पर पंहुचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर विक्रेता ने मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को मावा बर्फी (मावा और शक्कर से निर्मित) में विक्रय हेतु रखे हुए थे। मावा बर्फी (मावा और शक्कर से निर्मित) में मिलावट का अंदेशा होने पर मावा बर्फी 02 किलोग्राम वजनी तुलवाकर एक साफ बर्तन में खरीदकर उसकी कीमत 320/— रू0 विक्रेता श्री मुरारी लाल माली को नगद अदाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करावे एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां जिसे श्री मुरारी लाल मालती ने भी पढकर ,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम मावा बर्फी (मावा और शक्कर से निर्मित) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतल दिखाकर उक्त खरदीशुदा मावा बर्फी (मावा और शक्कर से निर्मित) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–3084 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता एवं गवाहान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, जिला- सत्यमेव जयते

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच 3084 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में मोड़ से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटरकवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एमएसएसए/2023/1129 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/4665/एक्ट/2023/4720 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु मावा बर्फी (मावा और शक्कर से निर्मित) **Substandard & Food Cantaining Extraneous Matter** होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने मावा बर्फी (मावा और शक्कर से निर्मित), **Substandard & Food Cantaining Extraneous Matter** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 **(ii)** का उल्लघंन किया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माने योग्य अपराध है, अतः श्री आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जावे ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलबध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद है। विपक्षी द्वारा अधिनियम के तहत अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त चाट पकौडी बेचकर अपना जीवन यापन करता है तथा थोडी बहुत मिलावट किसी अन्य दुकानदार से खरीदकर बेच देता है और थोडा बहुत मुनाफा कमा लेता है। अभियुक्त मिलावट बनाने का कार्य नहीं करता है तो मिलावट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी की दुकान पंकज चाट भण्डार के नाम है ना ही पंकज स्वीट भण्डार के नाम से है। उक्त खाद्य वस्तु मावा बर्फी (मावा और शक्कर से निर्मित), से अभियुक्त का कोई लेना देना नही है, साथ ही वकील अभियुक्त ने उचित कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/4665/एक्ट/2023/4720 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी, जिला-

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

विक्रय किया गया खाद्य वस्तु मावा बर्फी (मावा और शक्कर से निर्मित) **Substandard & Food Cantaining Extraneous Matter** होना पाया गया। वकील अभियुक्त ने दौराने बहस अवगत कराया कि अभियुक्त मिठाई निर्माण का कार्य नहीं करता है। लेकिन वकील अभियुक्त द्वारा उक्त कथन के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज/तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त मिठाई का निर्माण नहीं करता है, साथ ही वकील अभियुक्त ने अवगत कराया है कि मिठाई अन्य दुकानदार से खरीदकर बेचान करता है। लेकिन वकील अभियुक्त द्वारा उक्त क्रय मिठाई का बिल भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51, 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 80,000 (अस्सी हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी, आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...29.07.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला
गंगापुर सिटी